संख्या-481/2026/2267/22-2-2025-17(214)/2017

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2026

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-41208/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-29.10.2025), दिनांक 04.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर (दिनांक 28.07.2025 तक बंदी की आयु 50 वर्ष) मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक तमन्चे, सूजा बल्लम, लाठी से मोतीराम देवीराम हेमराज चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-212/2002, 222/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 सी0एल0 एक्ट एवं 4/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी), एक्ट पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मथ मा0 नायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.07.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष 7 माह 12 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष 02 माह 19 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, दोनों पक्षों में विवाद अभी विद्यमान है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक तमन्चे, सूजा, बल्लम, लाठी से मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की लगभग आयु 50 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कालीचरन (बंदी संख्या-17064) पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-481/2026/2267 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-481/2026/2267/22-2-2025-17(214)/2017

दिनांक 08 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर (दिनांक 28.07.2025 तक बंदी की आयु 50 वर्ष) मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक तमन्चे, सूजा बल्लम, लाठी से मोतीराम देवीराम हेमराज चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-212/2002, 222/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 सी0एल0 एक्ट एवं 4/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी), एक्ट पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मथ मा0 नायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.07.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष 7 माह 12 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष 02 माह 19 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, दोनों पक्षों में विवाद अभी विद्यमान है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक तमन्चे, सूजा, बल्लम, लाठी से मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की लगभग आयु 50 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री राम बहादुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in